# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

| तारीख हुकम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>आम जनता मोरोली जरिये रामस्वरूप व अन्य<br>बनाम<br>अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति व अन्य<br>प्रार्थना पत्र 14(4)<br>प्रकरण सं. – 15/2018 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.09.2019 | अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। आदेश सुनाया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार सिकराय ने वर्ष 1991 में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के यहां एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी को दिनांक 24.07.87 को ग्राम मोरोली के खसरा नं. 216/1 में से 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि में वृक्षारोपण, झांडिया व घास नहीं लगाये जाने से आवंटन नियमों का उल्लंघन होने पर प्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 3.3.1992 द्वारा अप्रार्थी जयसिंह पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली तहसील सिकराय को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 24.07.1987 निरस्त किया जा चुका है। जब अप्रार्थी का आवंटन पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है तो इस न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भू आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाना उचित समझते है।<br><br>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भू आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |

अति० जिला कलक्टर
दौसा

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official